न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—79/2020/225 (2020/00079)

1. रामलाल पुत्र घीसा,
2. रामनाथ पुत्र घीसा,
3. कमली पुत्री घीसा,
4. श्रवणी पुत्री घीसा,
5. लाली देवी पत्नि मांगीलाल,
6. गोपाल पुत्र मांगीलाल,
7. दशरथ पुत्र मांगीलाल,
8. प्रधान पुत्र मांगीलाल,
9. कालू पुत्र कजोड़,

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम बालापुरा, तहसील सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र चन्द्रा,
2. संतरा पत्नी रामप्रसाद,
3. रणजीत पुत्र रामप्रसाद,
4. हरिराम पुत्र रामप्रसाद,
5. नारायण पुत्र चन्द्रा,
6. गोपाल पुत्र चन्द्रा,
7. राधेश्याम पुत्र चन्द्रा,
8. श्यामसुन्दर पुत्र चन्द्रा,

समस्त जाति कमावत, निवासी ग्राम बालापुरा, तह0 सावर, जिला अजमेर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू अभिलेख सावर, जिला अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 3.3.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 117/2017.

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 9 व 10.

निर्णय

दिनांकः— 8.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 3.3.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत का इस आशय का संस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

किया कि खाता संख्या 54–44 व 137–138 जिसके आराजी खसरा नंबर 627, 628, 630, 631, 963/623, 629, 961/627, 962/627, 964/628, 965/628, 966/631 जिसके नये खसरा नंबर 632, 633, 634, 635, 636 बने है । उपरोक्त आराजियात ग्राम बालापुरा, तहसील सावर जिला अजमेर में अवस्थित है जिस पर अपीलांट पूर्वजों के समय से काश्त करते आ रहे है और आज भी अपीलांट काश्त कर रहे है । खाता संख्या 155, 85, 197, 46, 152–142, 187 जिनके खसरा नंबर 634, 1055/635, 1057/636, 635, 1051/634, 1058/636, 1062/637, 1054/634, 1056/635, 1061/636, 1063/637, 1052/634, 1059/636, 636, 637, 1050/634, 1053/634, 1060/636 जिनके नये खसरा नंबर 638, 639, 640, 641 बालापुरा सावर में स्थित है । रेस्पो0 संख्या 1 से 8 की गलत खातेदारी में दर्ज हो गया है । राजस्व अधिकारियों की गलती से खसरा नंबर 635 रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के नाम बिना आधार के दर्ज कर दिया गया है । खाता संख्या 155 अप्रार्थी संख्या 1, खाता संख्या 85 अप्रार्थी संख्या 5, खाता संख्या 197 अप्रार्थी संख्या 1 से 3, खाता संख्या 46 अप्रार्थी संख्या 6, खाता संख्या 152–142 अप्रार्थी संख्या 7 तथा खाता संख्या 187 अप्रार्थी संख्या 8 के वर्तमान में खातेदार दर्ज है । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के वर्तमान नक्शा ट्रेस तैयार करते समय पूर्व नक्शे की स्थिति को बिल्कुल बदलते हुए प्रार्थीगण की आराजियात का क्षैत्रफल नक्शे में कर दिया है तबा जिस तरह प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज चले आ रहे है उस जगह वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम की जानी चाहिये थी लेकिन राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने ऐसा नहीं कर गलत जगह तरमीम कर नक्शे में प्रार्थीगण की आराजियात को कम दर्शा दिया है जिसे दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शा संवत् 2022 के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । वर्तमान नक्शा ट्रेस के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 634, 635, 636 व 637 को नक्शा ट्रेस में इस प्रकार तरमीम किया गया है कि पुराने खसरा नंबर 464 की पूर्ति खसरा नंबर 634, 636 व 637 के नक्शा ट्रेस से ही हो जाती है । अर्थात् नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 634, 635, 636 व 637 को बढ़ा चढ़ा कर नक्शा शीट में दर्शाया गया है जिसके कारण प्रार्थीगण का नक्शा छोटा हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस की स्थिति तरमीम नहीं की जाती है तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 3.3.2020 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती का है जिसका पूर्ण विवेचन नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने निर्णय में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया है केवल मात्र यह आदेश दिया है कि राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार का कब्जा माना जाता है । जबकि विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के नाम गलत दर्ज हो गई है । पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके पर नाप चौप करने पर विवादित आराजी अपीलांट की खातेदारी व कब्जेशुदा आराजी है । वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है । विवादित आराजी में अपीलांट ने जौं व सरसों की फसल काश्त कर रखी है जो पक कर

तैयार खड़ी है । रेस्पो0 संख्या 1 से 8 का उक्त आराजी कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में कब्जा है । प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है । यदि रेस्पो0 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से उन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नंबरान के रकबो से जमाबंदी व नक्शा ट्रेस दोनों के क्षैत्रफल का मिलान होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया था जिसके साथ धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 225 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपील पेश की है । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने कथन किया है कि धारा 131 व 136 राज0भू–राजस्व अधि0 के प्रार्थना पत्र में धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता है । इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 राज0भूराजस्व अधि0 के तहत पेश किया था जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का पेश किया, जिसे अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय दिनांक 3.3.2020 को खारिज किया गया है । अधी0न्याया0 के इस आदेश के विरूद्ध अपीलांटस ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश की है । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 131 व 136 भू–राजस्व अधि0 1956 के प्रावधान भिन्न है । धारा 131 व 136 भू–राजस्व अधि0 1956 में पारित निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हस्तगत अपील संधारण योग्य नहीं है । अपीलांट चाहे तो सक्षम न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 8.9.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर